#09

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

CSC
Your Trusted Neighbourhood Kiosk

मालती अपने पति और बच्चों के साथ रहती है।
एक दिन देर रात...

आ गए तुम? रोज़ देर से आते हो और शराब पीते हो। क्या तुम्हारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, बच्चों का तो ख्याल करो। सारा समय सिर्फ अपने शराबी दोस्तों के साथ रहते हो...

पति गुस्से में.....

ये जो घर का खर्चा है, उसे कौन उठाता है? मैं कमाता हूँ और घर चलाता हूँ।

बहुत जुबान चलती है ना तेरी? निकल जा मेरे घर से और अपने बच्चों को भी ले जा यहा से!!

चटाककककक

अगली सुबह:

स्वेता बहन, बस अब और नहीं सहा जाता!

तुम परेशान मत हो! यह तुम्हारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। चलो पास के सीएससी सेंटर में। मैंने टेली-लॉ का बैनर देखा था। मुझे लगता है वहा से तुम्हें जरूर मदद मिलेगी।

दुखी मालती रोते हुए अपनी दोस्त स्वेता के पास जाती है

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF JUSTICE

CSC
Your Trusted Neighbourhood Kiosk

सीएससी केंद्र में

नमस्ते भइया!

नमस्ते! जी कहिये

क्या मैं अपने और अपने बच्चों के भरण पोषण के हक की मांग अपने पति से कर सकती हूँ? क्या मुझे यहाँ से ये सारी जानकारी मिल सकती है?

जी आप बिलकुल सही जगह आई हैं। मैं आपका केस टेली-लॉ में दर्ज कर देता हूँ। उसमें आप वकील से नि:शुल्क सलाह एवं जानकारी ले सकती हैं।

वकील से बात करते हुए

जी नमस्ते! मैं शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न से परेशान हो कर अपने पति से अलग अपने बच्चों के साथ रह रही हूँ। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ क्या मैं अपने और अपने बच्चों के रोज-मर्रा के खर्चों के लिए अपने पति से पैसे मांग सकती हूँ?

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

CSC
Your Trusted Neighbourhood Kiosk

मालती वकील से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, गंभीरता से बात करते हुए

कुछ दिनों बाद मामला कोर्ट में-
मालती पारिवारिक न्यायालय में पहुंची और याचिका दी। मालती और बच्चों को मासिक भरण-पोषण के लिए खर्चा दिए जाने का फैसला दिया गया।

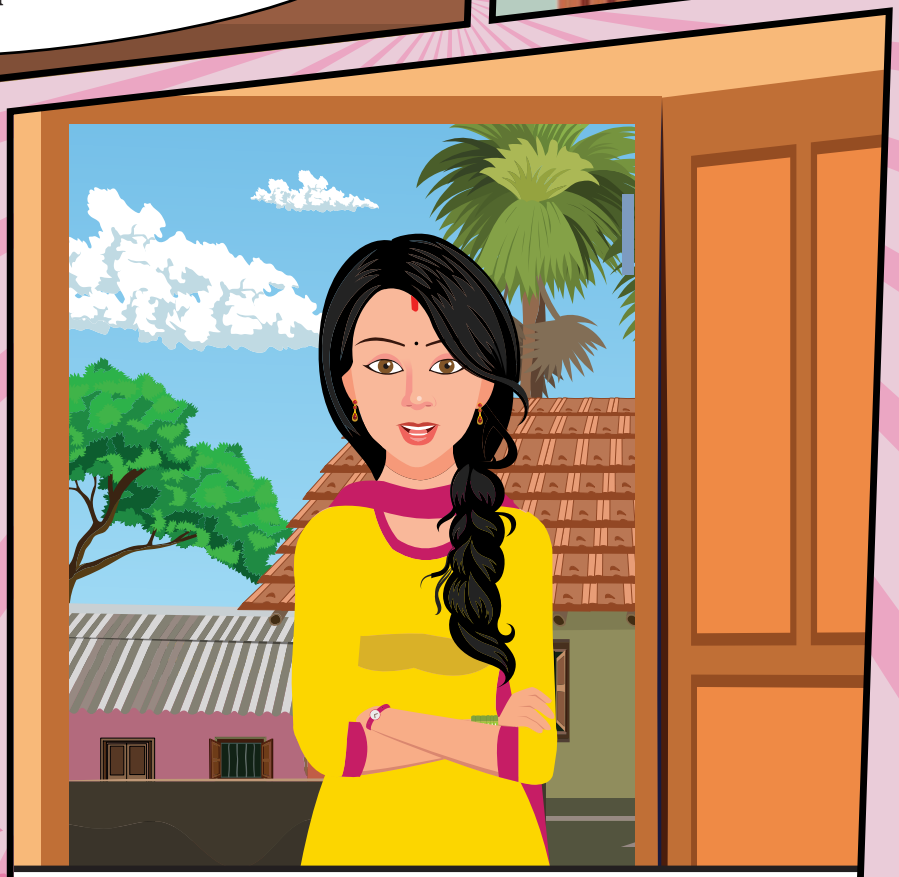

आज मालती खुश है। कोर्ट से मिले मेंटेनन्स के फैसले से संतुष्ट होकर वो अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना कर रही है।

न्याय विभाग
DEPARTMENT OF
JUSTICE

CSC
Your Trusted Neighbourhood Kiosk

मैं सीएससी केंद्र गई और वहाँ टेली-लॉ सेवा में मेरा मामला दर्ज किया, जिसके तहत मुझें वकील द्वारा नि:शुल्क अपने और अपने बच्चों के कानूनी अधिकारों की जानकारी मिली। उनके द्वारा दी गई सलाह के अनुसार मैंने न्यायालय में आवेदन दिया। न्यायालय के आदेशानुसार हमें मासिक भरण-पोषण की राशी प्राप्त होती है। जिसके लिए मैं टेली-लॉ सेवा की शुक्रगुजार हूँ। इस सेवा को हमारे बीच लाने के लिए न्याय विभाग की बहुत आभारी हूँ।